

सं०सं०-7/बजट-46-12/2024- 93 (7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-24/02/2026

विषय:— राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रू० 3,49,78,00,000 /—(रुपये तीन अरब उन्चास करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000 /—(छ: अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध रू० 19,00,00,000 /— (रुपये उन्नीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं०-386(1) दिनांक-29.03.2017, सह-पठित शुद्धि पत्र सं०-113(1)ब०, दिनांक-31.03.2017 एवं शुद्धि पत्र सं०-1391(1) दिनांक-07.12.2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रू० 3,49,78,00,000 /—(रुपये तीन अरब उन्चास करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000 /—(छ: अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-236(7), दिनांक-28.10.2024 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-22.07.2025, पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत रू० 125.00 करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-278(7), दिनांक-02.09.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 125.00 करोड़ के विरुद्ध रू० 75.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3- पुन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक- F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19, दिनांक-31.12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-1049/वि०, दिनांक-31.12.2025 द्वारा परियोजना हेतु "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में राशि विमुक्त की गयी है।

4- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश/ राज्यांश	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2017-18	केन्द्रांश	26,00,00,000	स०-68(1)ब०,दिनांक-07 12 2017
2	2017-18		17,64,00,000	स०-124(1)ब०,दिनांक-20 03 18
3	2018-19		48,00,00,000	स०-96(1)ब०,दिनांक-21 01.2019
4	2019-20		21,76,00,000	स०-1560(1),दिनांक-27.11 2019
	योग-		1,13,40,00,000	
1	2017-18	राज्यांश	17,33,33,000	स०-68(1)ब०,दिनांक-07 12 2017
2	2017-18		11,76,00,000	स०-124(1)ब०,दिनांक-20 03 18
3	2018-19		32,00,00,000	स०-96(1)ब०,दिनांक-21 01 2019
4	2019-20		14,50,67,000	स०-1560(1) दिनांक-27 11 2019
	योग-		75,60,00,000	
1	2022-23	राज्य योजना	30,00,00,000	स०-154(7),दिनांक-10 08 2022
2	2022-23		20,00,00,000	स०-515(7),दिनांक-28 02 2023
3	2022-23		1,00,00,00,000	स०-599(7),दिनांक-29 03 2023
4	2023-24		10,78,00,000	स०-199(7),दिनांक-28 04 2023
5	2024-25		90,00,00,000	स०-391(7),दिनांक-28 01.2025
6	2024-25		21,77,00,000	स०-502(7),दिनांक-11 03 2025
7	2025-26		65,00,00,000	स०-95(7),दिनांक-19 06 2025
8	2025-26		75,00,00,000	स०-278(7),दिनांक-02 09 2025
	योग-		4,12,55,00,000	
	कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश+राज्य योजना)-		6,01,55,00,000	

5- अतएव उक्त के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु० 3,49,78,00,000/- (रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 6,29,18,09,000/- (छ अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध रु० 19,00,00,000/- (रुपये उन्नीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-386(1) दिनांक-29.03.2017 एवं संख्या-236(7), दिनांक-28 10.2024 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7- यह व्ययदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17 04 98, 2880/वि०(2), दिनांक-06 05 06,2938/वि०(2), दिनांक-08.04 08 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- इस राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- राशि से व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111-53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में बजटीय उपबध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

10- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06 12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में जमा करवाया जायेगा।

अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

11- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-1049/वि०, दिनांक-31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।


12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या--7/बजट-46-12/2024 के पृष्ठ-62 /टि० पर प्राप्त है।

15- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(संजु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक.-7/बजट-46-12/2024 - 23 (7-A) /स्वा०, पटना, दिनांक-24/02/2026

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, सारण/जिलाधिकारी, छपरा (सारण)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य-सह-अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।